



राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक: शैक्षणिक-द्वितीय/2024/6002

दिनांक: 08.05.2024

प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय,


महोदय/महोदया,

विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी किए गए कार्यालय आदेश क्रमांक शैक्षणिक-द्वितीय/2024/5247 दिनांक 07.05.2024 के क्रम में सिविल रिट पिटीशन संख्या 6380/2024 एवं 7068/2019 के अन्तर्गत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश दिनांक 06.05.2024 की अनुपालना में आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर के पत्र दिनांक 13.03.2024 के बिन्दु संख्या 7 एवं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) विनियम 2014 के बिन्दु संख्या 10 (2) में उल्लेखित समस्त सूचनाएं मय समस्त दस्तावेजों सहित समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को दिनांक 08.05.2024 तक स्वयं की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने एवं तत्संबंधित लिंक विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाने बाबत निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं:-

1. समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा स्वयं की वेबसाइट्स पर सम्पूर्ण एवं विस्तृत सूचनाएं मय तत्संबंधित दस्तावेजों के साथ दिनांक 08.05.2024 तक अपलोड किए जाने के पश्चात महाविद्यालयी वेबसाइट लिंक विश्वविद्यालय को निर्धारित गूगल फार्म <https://forms.gle/DNjoAKUWbyQL45pz8> (जिसका लिंक विश्वविद्यालय वेबसाइट www.uniraj.ac.in पर website link section पर affiliated college information form के रूप में उपलब्ध है) में आज दिनांक 08.05.2024 को रात्रि 12.00 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाए जाना सुनिश्चित करें ताकि समस्त महाविद्यालयी वेबसाइट्स लिंक छात्र हितार्थ/सूचनार्थ विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जा सकें।
2. उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने के पश्चात ही विश्वविद्यालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशान्तर्गत आगामी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,



कुलसचिव

क्रमांक: शैक्षणिक-द्वितीय/2024/6003-6205

दिनांक: 08.05.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. सूलआर, विधि प्रकोष्ठ, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलपति/कुलसचिव, राज. वि.वि. जयपुर।



उप कुलसचिव

(शैक्षणिक द्वितीय)